आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 120 /2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस, गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती सीमा रानी पत्नी श्री जगदीप कुमार विलियम
2. श्री जगदीप कुमार विलियम पुत्र श्री जोनाथन विलियम
3. श्री हंसी जोनाथन विलियम पुत्र श्री जगदीश कुमार विलियम
   निवासी ढाणी ईसाईयान, ग्राम पंचायत काचरोदा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर ।
4. श्री नरोत्तम दास पुत्र श्री मदन लाल
   निवासी प्लाट नम्बर 129/2, निर्माण नगर–3, CPWD कालोनी विराटनगर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण ऋणी
एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित :–

1.श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

2. श्री नगेन्द्र गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

आदेश दिनांक 18.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.04.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री जगदीप कुमार विलियम पुत्र जोनाथन विलियम के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति ढाणी ईसाईयान, ग्राम पंचायत काचरोदा, पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर क्षेत्रफल 532.66 वर्गगज को बन्धक कर राशि 15,25,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय सस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र गुप्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जबाब पेश किया।

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी ऋणी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण लेना स्वीकार करते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बकाया किश्तों का एक मुश्त जनवरी 2019 में भुगतान कर दिया गया इसके बावजूद गलत तरीके से धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस पर प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थीगण का खाता दिनांक 20.06.2019 को एन पी ए घोषित हो जाने के कारण दिनांक 29.08.2019 को धारा 13 02) का नोटिस दिया जाकर 23,70,568/–रूपये 60 दिवस में जमा कराने के लिए कहा गया था, किन्तु, अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि जमा नही कराई गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय सस्था ने अप्रार्थीगणों को 15,25,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। नियमानुसार ऋण वसूली के लिए अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन अप्रार्थीगण को दिनांक 02.09.2019 को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस का अप्रार्थीगण द्वारा जबाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा धारा 13(2) के मांग पत्र अनुसार वित्तीय संस्था को ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था रहन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था को रहन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी श्री जगदीप कुमार विलियम पुत्र जोनाथन विलियम के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति ढाणी ईसाईयान, ग्राम पंचायत काचरोदा, पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर क्षेत्रफल 532.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

7. आदेश आज दिनांक 18.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/8/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर